न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या — 114 / 2024

अनवान : —

1. इन्द्रजीत पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. आनन्द प्रकाश पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. संतलाल पुत्र दिपाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. देसराज पुत्र दिपाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

— वादी

बनाम्

1. हरि सिंह पुत्र दीपा राम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. ओम प्रकाश पुत्र दीपाराम ढ़ाका जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. गिरदावरी पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. सोनू देवी पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. मंजू पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. सरिता पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. चन्द्रशेखर पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. जैता देवी पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. दर्शना पुत्री रामनिवास जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. कौशल्या पुत्री रामनिवास जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
11. मंजू पुत्री रामनिवास जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
12. विद्या पुत्री रामनिवास जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
13. कालुराम पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
14. भूपसिंह पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88—89 ,राजस्थान काश्त० अधि० 1955

उपस्थिति :— श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 18/03/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071—2074 के खाता संख्या 131 / 116 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 0.6330 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व देवीलाल व रामनिवास के नाम ब० हि० ब० दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से हरिसिंह, औमप्रकाश पि० दीपचन्द के 1 / 3 हिस्सा एवं फुसाराम, लालचन्द पि० खेमा के 2 / 3 हिस्सा भूमि आवंटन हुई थी जो गैर खातेदारी [illegible] आ रही है।

आवंटन के बाद उपरोक्त भूमि [illegible] पारिवारिक समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या [illegible] ता 7 ने अपना जो [illegible]क हिस्सा था वह तर्क कर दिया इसकी एवज में अन्य भूमि में अपनी हकरसी प्राप्त कर ली इसी प्रकार से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 ने अपना हक हिस्सा तर्क कर दिया तथा इसकी एवज में अन्य भूमि में हकरसी प्राप्त कर ली बाद हक त्याग मुताबिक पारिवारिक समझोता प0 नं0 361/375 (67) के किला नं. 2 की 0.253 है0 भूमि पर वादी संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा प0 नं0 361/375 (67) के किला नं. 6 की 0.1270 है0, 7 की 0.253 है0 भूमि पर वादीगण संख्या 3 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

उपरोक्त भूमि आवंटन के बाद समर्पण किस्तो रकम राज जमा करवा दी तथा उसके पश्चात कार्यालय जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 29.07.1990 को सनद जारी हुई जिसके बाद भूमि मुताबिक आदेश सनद खातेदार काश्तकार हो चुके है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 14 की तरफ से श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 15 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य ....

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 131/116 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 0. 6330 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व देवीलाल व रामनिवास के नाम ब0 हि0 ब0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से हरिसिंह, औमप्रकाश पि0 दीपचन्द के 1/3 हिस्सा एवं फुसाराम, लालचन्द ... के 2/3 हिस्सा भूमि आवंटन हुई थी जो गैर खातेदारी दर्ज चली आ रही है ... बाद उपरोक्त भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण ने पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने अपना जो भी हक हिस्सा था वह तर्क कर दिया इसकी एवज में अन्य भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अपनी हकरसी प्राप्त कर ली इसी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 ने अपना हक हिस्सा तर्क कर दिया तथा इसकी एवज में अन्य भूमि में हकरसी प्राप्त कर ली बाद हक त्याग मुताबिक पारिवारिक समझोता प0 नं0 361/375 (67) के किला नं. 2 की 0.253 है0 भूमि पर वादी संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा प0 नं0 361/375 (67) के किला नं. 6 की 0.1270 है0, 7 की 0.253 है0 भूमि पर वादीगण संख्या 3 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 131/116 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 0.6330 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व देवीलाल व रामनिवास के नाम ब0 हि0 ब0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से हरिसिंह, औमप्रकाश पि0 दीपचन्द के 1/3 हिस्सा एवं फुसाराम, लालचन्द पि0 खेमा के 2/3 हिस्सा भूमि आवंटन हुई थी जो गैर खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि आवंटन के बाद उपरोक्त भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण ने पारिवारिक समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने अपना जो भी हक हिस्सा था वह तर्क कर दिया इसकी एवज में अन्य भूमि में अपनी हकरसी प्राप्त कर ली इसी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 ने अपना हक हिस्सा तर्क कर दिया तथा इसकी एवज में अन्य भूमि में हकरसी प्राप्त कर ली बाद हक त्याग मुताबिक पारिवारिक समझोता प0 नं0 361/375 (67) के किला नं. 2 की 0.253 है0 भूमि पर वादी संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा प0 नं0 361/375 (67) के किला नं. 6 की 0.1270 है0, 7 की 0.253 है0 भूमि पर वादीगण संख्या 3 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 द्वारा स्वीकार किया जाकर जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर यह घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 131/116 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 0.6330 है0 भूमि में से देवीलाल पुत्र रामचन्द्र व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

रामनिवास पुत्र फुसाराम का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 361/375 (67) के किला नं. 2 की 0.253 है0 भूमि वादी संख्या 1 ता 2 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा प0 नं0 361/375 (67) के किला नं. 6 की 0.1270 है0, 7 की 0.253 है0 भूमि वादीगण संख्या 3 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के ब0 हि0 ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:45 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 114 / 2024

अनवान : –

1. इन्द्रजीत पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. आनन्द प्रकाश पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. संतलाल पुत्र दिपाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. देसराज पुत्र दिपाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. हरि सिंह पुत्र दीपा राम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. ओम प्रकाश पुत्र दीपाराम ढ़ाका जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. गिरदावरी पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. सोनू देवी पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. मंजू पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. सरिता पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. चन्द्रशेखर पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. जैता देवी पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. दर्शना पुत्री रामनिवास जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. कौशल्या पुत्री रामनिवास जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
11. मंजू पुत्री रामनिवास जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
12. विद्या पुत्री रामनिवास जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
13. कालुराम पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
14. भूपसिंह पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 114 सन 2024 निर्णय दिनांक 18/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 131/116 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 0.6330 है0 भूमि में से देवीलाल पुत्र रामचन्द्र व रामनिवास पुत्र फुसाराम का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 361/375 (67) के किला नं. 2 की 0.253 है0 भूमि वादी संख्या 1 ता 2 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा प0 नं0 361/375 (67) के किला नं. 6 की 0.1270 है0, 7 की 0.253 है0 भूमि वादीगण संख्या 3 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के ब0 हि0 ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करें। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:45 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर